दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

SUDA राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

56/1

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

पत्रांक : 1703/05/76/एक/2013–14 दिनांक : 09 सितम्बर 2013

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–बस्ती।

विषय : वित्तीय वर्ष 2013–14 में सूडा द्वारा डूडा को अवमुक्त की गई धनराशि की सूचना। cLrh

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:– (धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	आगणित धनराशि	शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि	सेन्टेज की धनराशि	अवमुक्त की गई धनराशि	बैंक/खाता संख्या (ट्रान्सफर धनराशि)
1	बस्ती	न0पं0–बभनान	वार्ड न0 01 अम्बेडकर नगर में कमाल अहमद के घर होते हुए मस्जिद तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	13.400	6.700	0.740	5.960	PNB 05870001 00396654
2	बस्ती	न0पं0–बभनान	वार्ड न0 01 अम्बेडकर नगर मे पूर्वी रेलवे क्रासिंग बभनान मार्ग से कालादीन पुरवा(मुस्लिम बस्ती) मस्जिद होते हुए पिच रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	40.000	20.000	2.220	17.780	
3	बस्ती	न0पं0–बभनान	वार्ड न0 01 अम्बेडकर नगर में मरवटिया प्राइमरी स्कूल से अनरूल्ला खां के मकान होते हुए हलुआ मार्ग तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	30.000	15.000	1.670	13.330	
4	बस्ती	न0पं0–बभनान	वार्ड न0 05 चन्द्रशेखर आजाद नगर में जामा मस्जिद के पास इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	4.800	2.400	0.270	2.130	
5	बस्ती	न0पं0–बभनान	वार्ड न0 07 लक्ष्मीबाई नगर में कब्रिस्तान बाउन्ड्री से मदरसा दारूल माहम्मदिया होते हुए परई बाबा के मजार तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	27.100	13.550	1.510	12.040	
6	बस्ती	न0पं0–हर्रैया	वार्ड न0 10 रामलीला नगर में मस्जिद के पीछे से नसीम के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	9.000	4.500	0.500	4.000	
7	बस्ती	न0पा0परि0–बस्ती	मो0 गड़गोड़िया में न0पा0प0 सीमा के पास स्थित कब्रगाह के सामने वाले पोखरे के सोन्दर्यीकरण, स्नानघाट, तालाब के किनारे स्थित सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	39.900	19.950	2.220	17.730	

दूरभाष-
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-2
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 'SUDA'

(58/2)

8	बस्ती	तदैव	मो0 गड़गोड़िया में कब्रिस्तान के उत्तर शबनम आरा के मकान से होते हुये कब्रिस्तान के पश्चिमी छोर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.300	5.650	0.630	5.020	
9	बस्ती	तदैव	मो0 गड़गोड़िया में मो0 शकील के घर से के0के0 सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	7.600	3.800	0.420	3.380	
10	बस्ती	तदैव	मुहल्ला मुरलाजोत में चुन्नी मिस्त्री के दुकान से ओम प्रकाश के घर से रंजीत और संत प्रकाश, रविन्दर यादव के घर होते श्री पी0 के0 दुबे के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	38.910	19.460	2.160	17.300	
11	बस्ती	तदैव	मुहल्ला गड़गोड़िया में सी0सी0 रोड से वीरेन्द्र का प्लाट होते हुये शब्बीर अहमद के घर से रात अवध और शब्बीर अहमद के घर से गणेश सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	38.540	19.270	2.140	17.130	
12	बस्ती	तदैव	मो0-पिकौरादत्तूराय में पाण्डेय जी के मकान होते हुए अनिल के मकान के बगल से सामने सुमन के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	39.540	19.770	2.200	17.570	
			योग	300.09	150.05	16.68	133.37	

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

1- उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

4- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के

दूरभाष— 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

56/3

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

5– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2013–14 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

6– उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

7– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

8– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

9– **शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये 75 प्रतिशत के उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि शासन से प्राप्त कर जनपद को अवमुक्त की जा सके।**

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

<u>पत्रांक एवं दिनांक तदैव</u>
प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. संयुक्त निदेशक, सूडा।।
3. अधि0 अभियन्ता–सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक